आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 477/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि) कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल वी एस कालेज के सामने तिलक नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा,
   पता–झाडला, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. श्रीमती रूपा शर्मा पत्नी श्री मोहन लाल शर्मा,
3. श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा,
   पता मुरली मनोहर मन्दिर के पास, झाडला, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. श्री मोहन सिंह पुत्र श्री मांगी लाल दरोगा,
   पताः राजपूतों का मोहल्ला, झाडला, तहसील फागी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थितः–

1. श्री भवानी सिंह नरूका अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री मनोज कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।

आदेश दिनांक 08.09.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.08.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप मे अप्रार्थी श्री राजेश कुमार शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 02, ग्राम पंचायत झाडला, पंचायत समिति फागी, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 174.77 वर्गगज एवं श्रीमती रूपा शर्मा के स्वामित्त्व की संपति पट्ट संख्या 18, ग्राम झाडला, ग्राम पंचायत झाडला, पंचायत समिति फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 148.7 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 05,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश कर जवाब बहस हेतु समय चाहा है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर 2018 को कम संख्या 13 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. अप्रार्थी ने जबाब प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निरतारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पूर्व में समय दिया जा चुका है। इसलिए अधिक समय नही दिया जा सकता है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 05,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 05,68,145/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.06.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

7. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री राजेश कुमार शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 02, ग्राम पंचायत झाडला, पंचायत समिति फागी, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 174.77 वर्गगज एवं श्रीमती रूपा शर्मा के स्वामित्त्व की संपत्ति पट्ट संख्या 18, ग्राम झाडला, ग्राम पचायत झाडला, पंचायत समिति फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 148.7 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा दिनांक 30.09.2022 के पश्चात् जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

9. आदेश आज दिनांक **08.09.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर